<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 37/2024 FSSA</u>

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री विष्णु कुमार बंसल पुत्र श्री भगवान सहाय
   एफबीओ मैसर्सः—शाही केक सेन्टर, मेन मार्केट महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 21.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 18.08.2023 को दोपहर 02:10 बजे मैसर्स :— शाही केक सेन्टर, मेन मार्केट, महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री विष्णु कुमार बंसल पुत्र श्री भगवान सहाय उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर डी फ्रीज में सिल्वर की बाल्टी में लगभग 2 किलोग्राम पनीर खुला(**Paneer loose**) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 1 किलोग्राम पनीर खुला (**Paneer loose**) अच्छी तरह से हिलामिला कर एक साफ सुखे व खाली बर्तन में खरीदा। जिसकी कीमत 280 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर खुला (**Paneer loose**) को डिजीटल वेट मशीन से तौलकर 250—250 ग्राम चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर डाला, चारो बोतलों में 20—20 बून्दे प्रिजरवेटिव फार्मलीन की डालकर ढक्कन लगाकर बन्द किया। चारो नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओं दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG-3728** गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.08.2023 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 21.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द भाग व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1493 / एक्ट / 2023 / 1515 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार यह नमूना अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया एवं बहस करने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1493 / एक्ट / 2023 / 1515 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया उक्त खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** के नमूने में **Fat contents 17.26** प्रतिशत पाया गया है जो कि तय मानको के अनुसार 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये था। खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** के नमूने में **Fat contents** तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह नमूना अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा अलग–अलग पशुपालको से दूध खरीदकर उसका पनीर बनाया जाकर विक्रय किया जाता हैं। पनीर का निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। पशुपालको से प्राप्त दूध की फैट अलग-अलग होने के कारण जांच रिपोर्ट में फैट की कमी आई है। भविष्य में इस ओर ध्यान दिया जाकर ही पनीर का निर्माण व विक्रय खाद्य सुरक्षा मानको के अनुसार ही किया जावेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1493/एक्ट/2023/1515 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का नमूना अमानक **(SUBSTANDARD)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री विष्णु कुमार बंसल पुत्र श्री भगवान सहाय एफबीओ मैसर्सः—शाही केक सेन्टर, मेन मार्केट महवा जिला दौसा पर 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 21.05.2025 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः— .2025

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
   श्री विष्णु कुमार बंसल पुत्र श्री भगवान सहाय एफबीओ मैसर्सः—शाही केक सेन्टर, मेन मार्केट महवा जिला दौसा।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested